

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर

क्रमांक: सखअ/सलु/बजरी/निविदा/2019/

दिनांक 28.3.2019

निविदा विज्ञप्ति

विभागीय पोर्टल पर सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि जिला डुंगरपुर की तहसील आसपुर में खनिज बजरी का जब्त शुदा 5220 टन अवैध स्टॉक सोम कमला आंबा बांध के पास खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा जब्त किया गया है। उक्त जब्त शुदा बजरी कि निलामी हेतु निम्नांकित तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार अंकित तिथि को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित कि जायेगी/खोली जावेगी।

उक्त निलामी में भाग लिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र राशि रूपया 1000/- कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर में सामान्य कार्यदिवस में (दिनांक 12.04.2019 तक) नकद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा का विवरण

क सं.	आरक्षित मुल्य रूपया	धरोहर राशि	निविदाये प्राप्त किये जाने का स्थान एव समय	निविदाये खोले जाने का स्थान एव समय
1.	1827000/-	निविदा राशि के 10 प्रतिशत राशि 182700/- की डीडी (सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर के नाम बनी हुई)	1. कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर 2. कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर दिनांक 15.04.2019 को प्रातः 11 से 3 बजे तक।	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर दिनांक 16.04.2019 को दोपहर 12 बजे

निविदा के संबंध में आवश्यक निर्देश एव शर्तें:-

1. निविदा के लिफाफे पर सुसंगत उक्त विवरण उपर या बाहर की तरफ मुद्रांकित कर सीलबंद लिफाफे को सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता उदयपुर कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जावे ।
2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज एव डी.डी. सलग्न करने होंगे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा:-
 - i. निविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर के नाम देय हो सलग्न प्रस्तुत करना देय होगा
 - ii. शपथ पत्र जिसमें इस आशय का कथन हो कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग कि कोई राशि बकाया नहीं है।
 - iii. निविदा दाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति फर्म के प्रकरण में फर्म को पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारी नामा एव मुख्तयारनामा, यदि जारी किया हुआ हो तो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स, निदेशको कि सुची इत्यादि कि प्रति।
 - iv. निविदादाता को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण एव आयकर विभाग के पेन नम्बर कि स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदा खोले जाने पर उच्चतम निविदादाता के पक्ष में कमेटी द्वारा निविदा को स्वीकार किया जायेगा। चयनित निविदादाता निविदा में वर्णित उच्चतम राशि में से जमा धरोहर राशि को कम करते हुये शेष राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर के नाम देय हो आगामी तीन कार्यदिवस में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर निलामी को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा लागु किये गये जी.एस.टी. कि राशि नियमानुसार जमा करानी होगी।

5. खनिज का निर्गमन सम्पूर्ण निविदा राशि जमा होने पर कार्यालय सहायक, खनि अभियंता सलुम्बर से जारी मुद्रित टी.पी.(ट्रांजिट पास) से वाहन के वजन क्षमता अनुसार स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 दिवस में करना होगा।
6. निलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के सम्बन्ध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से सम्बन्धित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित सक्षम कमेटी के पास सुरक्षित है।

सहायक खनि अभियंता,

सलुम्बर

दिनांक 28.3.2019

क्रमांक: सखअ/सलु/बजरी/निविदा/2019/ 987

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. जिला कलक्टर, उदयपुर/डुंगरपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर/डुंगरपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर जोन उदयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर वृत उदयपुर।
6. पुलिस उपअधीक्षक, सलुम्बर/आसपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर/आसपुर।
8. तहसीलदार, सलुम्बर/आसपुर।
9. खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
10. पुलिस थाना, सलुम्बर/आसपुर।
11. निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. सलुम्बर एवं आसपुर में स्थित सरकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

सहायक खनि अभियंता,
सलुम्बर